न्यायालय : अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, खगड़िया।
उपस्थितः संजय कुमार,
अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम,
खगड़िया।

जमानत आवेदन संख्या–273/2026
गुलशन कुमार उर्फ छोटु बनाम बिहार राज्य

तिथि	आदेश	अभियुक्ति
25.03.2026	मुफसिल थाना कांड संख्या–14/26 जी0आर0 संख्या–251/26 अंतर्गत धारा–137(2), 140(2), 3(5) बी.एन.एस. के तहत काराधीन आवेदक अभियुक्त गुलशन कुमार उर्फ छोटु की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री रंजीत कुमार सिन्हा के द्वारा जमानत आवेदन दाखिल किया गया। जमानत आवेदन की प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक को दी गई है। आवेदक अभियुक्त की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता ने जमानत के बिन्दु पर कथन किया है कि आवेदक बिल्कुल निर्दोष है एवं उसने कोई अपराध नहीं किया है। उसे इस केस में गलत ढंग से फंसाया गया है। आवेदक के विरुद्ध मुफसिल थाना कांड संख्या–22/22 एवं 22/20 लंबित है। वह दिनांक 09.02.26 से कारा अभिरक्षा में है। इस वाद की 20 वर्षीय पीड़िता मुस्कान कुमारी एवं आवेदक के बी. एक वर्ष से प्रेम प्रसंग है एवं पीड़िता अपनी इच्छा से अपने पिता का घर छोड़ी है जिसमें आवेदक की कोई भूमिका नहीं है। आवेदक द्वारा उसका कोई अपहरण नहीं किया गया है। आवेदक के विरुद्ध आरोपित धाराओं के तहत अपराध नहीं बनता है। आवेदक विचारण का सामना करने को तैयार है एवं उसके फरार होने की संभावना नहीं है। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आवेदक को जमानत की सुविधा प्रदान करने की प्रार्थना किया गया है। विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा जमानत का विरोध किया गया है। सूचक रमण कुमार के लिखित आवेदन के अनुसार अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि आज दिनांक–26.01.26 को संध्या करीब 6:00 बजे सूचक की 21 वर्षीय पुत्री मुस्कान कुमारी सब्जी खरीदने हेतु मार्केट निकली जो घर लौट कर नहीं आयी। घर से निकलने तक लगातार ग्रामीण लड़का गुलशन कुमार उर्फ छोटु का सूचिका की पुत्री के मोबाइल पर उसका कॉल आता रहा। सूचक का कथन है कि वह आश्वस्त है कि गुलशन कुमार, उसकी मां संगीता देवी, चाचा टुनटुन चौधरी, टनटन चौधरी ने आम सहमति से गलत नियत से मानव तस्करी हेतु उसकी लड़की का अपहरण किया है।	

न्यायालय : अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, खगड़िया।
उपस्थितः संजय कुमार,
अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम,
खगड़िया।

जमानत आवेदन संख्या–273/2026
गुलशन कुमार उर्फ छोटु बनाम बिहार राज्य

लगातार : 2 25.03.2026	उभय पक्षों को सुना। अभिलेख एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों का अवलोकन किया, जिससे विदित होता है कि इस आपराधिक वाद में आवेदक/अभियुक्त सहित अन्य सह–अभियुक्तों के विरुद्ध ऊपरी अंकित धाराओं के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज की गयी है। अनुसंधानकर्ता ने अपने अनुसंधान के कम में केस डायरी के कंडिका–2 में वादी का पुनःबयान, कंडिका–7, 8, 9 में अन्य साक्षियों का बयान अंकित किया है जिसमें सभी ने अभियोजन कथन का समर्थन किया है। कंडिका–35 में अपहृता का धारा–180 बी.एन.एस.एस. के तहत दर्ज बयान में वर्णित तथ्यों का उल्लेख किया गया है जिसमें उसने आवेदक अभियुक्त के विरुद्ध विशिष्ट आरोप लगाते हुए जबर्दस्ती ऑटो में बैठाकर भागलपुर एवं फिर जसीडीह से दिल्ली ले जाने की बात कही है। केस डायरी में कंडिका–34 में उल्लिखित अपहृता का धारा–183 बी.एन.एस.एस. के तहत बयान में उसने स्वेच्छया दिल्ली जाने की बात कही है। आवेदक प्राथमिकी का नामजद मुख्य अभियुक्त है एवं मामले में उसके विरुद्ध अनुसंधान अभी जारी है। वाद के तथ्यों, परिस्थितियों एवं मामले की गंभीरता को देखते हुए आवेदक अभियुक्त को जमानत की सुविधा प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः आवेदक अभियुक्त की ओर से दाखिल जमानत आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। (लेखापित एवं शुद्धित) Sd/- अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, खगड़िया।	

Date of Order	25-03-2026
Date of Reserving Order	25-03-2026
Uploading Date	28.03.26
Uploading by	Nikky Kumar (Steno)

Copy forwarded to Ld. C.J.M., Khagaria
Sd/-
Addl. S.J.-I